



गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)  
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009, क्रमांक 25 के अंतर्गत स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)  
GURU GHASIDAS VISHWAVIDYALAYA, BILASPUR (C.G.)  
(A Central University established by the Central University Act., 2009 NO.25 of 2009)  
Web Site – www.ggu.ac.in, ph. No. 07752-260342, fax No. 07752-260148,154

क्रमांक 271 / अका. / 2024

बिलासपुर, दिनांक

12 JUL 2024

### शुद्धि पत्र

विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश सूचना के माध्यम से विज्ञापित दो शैक्षणिक कार्यक्रमों की सीट संख्या में परिवर्तन किया जा रहा है।  
निम्नलिखित शैक्षणिक कार्यक्रमों की संख्या अब निम्नानुसार होगी :-

<u>शैक्षणिक कार्यक्रम</u>	<u>सीट संख्या</u>
MBA	60सीट
BBA	120सीट

कृपया सूचनार्थ ।

आदेशानुसार

कुलसचिव(कार्यवाहक)

प्रतिलिपि:-

- 1-कुलपति के निज सचिव की ओर माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
- 2-समस्त अधिष्ठाता/समस्त विभागाध्यक्ष, शिक्षण विभाग की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 3-प्रभारी, मीडिया सेल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 4-प्रभारी वेबसाइट सेल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 5-कार्यालय प्रति।

सहायक कुलसचिव(अका.)